अर्द्ध शासकीय पत्र क्र0 / राशिकप्र / रा0पु0 / 9 / 07 /

दूरभाष 2583653, फैक्सः 283651 निवासः 2431398
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल – 462023

एल.एस.बघेल
आई.ए.एस.
आयुक्त

दिनांकः मई, 2007

विषयः–" राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2007 " हेतु शिक्षकों के प्रस्ताव भेजने बाबत ।

प्रिय श्री

राष्ट्र निर्माता गुरूजनों को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है । एतदर्थ चरित्रवान और उत्कृष्ट शिक्षकों के प्रस्ताव आमंत्रित हैं । पुरस्कार हेतु केवल उन्हीं शिक्षकों के नाम प्रस्तावित करें, जो सम्पूर्ण निष्ठा के साथ अध्यापन में प्रवृत हों तथा उनके सत्कार्यो के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो । जिले में कार्यरत वस्तुतः योग्य एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के नाम पुरस्कार हेतु अनुशंसित होने से केवल इस कारण वंचित नही होएं कि प्रस्ताव भेजने मे संस्था प्रमुखों द्वारा पर्याप्त रूचि नही ली गई । अतः इस पत्र को जिले के सभी विद्यालयों में संस्था प्रमुखों को पृष्ठांकित करें ।

2. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु पात्रता के लिए कक्षा शिक्षक के लिए न्यूनतम 15 वर्ष एवं प्रधानाध्यापक/प्राचार्य के लिये न्यूनतम 20 वर्ष की सतत सेवा आवश्यक है । अतः वर्ष 2007 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु उन्हीं शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों / प्राचार्यो के प्रस्ताव भेजे जाएं जिन्होने दिनांक 31 दिसम्बर 2006 तक उपर्युक्तानुसार अर्हतादायक सेवा पूर्ण कर ली है ।

3. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु अध्यापन की कक्षाओं के अनुसार दो श्रेणियों मे शिक्षकों का चयन होना है– प्राथमिक एवं माध्यमिक । कक्षा 1 से 8 को प्राथमिक एवं कक्षा 9 से 12 को माध्यमिक विभाग माना गया है । तद्नुसार ही पृथक–पृथक श्रेणीवार शिक्षकों के प्रस्तावों पर विचार कर अनुशंसाएं की जाएं ।

4. निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा हेतु विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को पुरस्कार हेतु मध्यप्रदेश के लिये एक स्थान आरक्षित है । अतः निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा के लिए वास्तविक प्रयास तथा यथार्थ कार्य करने वाले योग्य शिक्षकों के नाम इस श्रेणी में अनुशंसित किए जाएं । शिक्षक द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यो का विस्तृत एवं सप्रमाण विवरण पृथक से प्रस्तुत किया जाए तथा प्रमाण स्वरूप अभिलेख भी संलग्न किए जाएं ।

5. इसी प्रकार अरबी,फारसी तथा संस्कृत शिक्षकों हेतु भी राष्ट्रीय स्तर पर पृथक कोटा निर्धारित है। अतः परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं, मदरसों आदि के शिक्षकों के प्रस्ताव भी इन श्रेणियों में भेजे जाएं किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि सामान्य विद्यालयों में उक्त भाषाओं के शिक्षकों के नामों पर सामान्य श्रेणी में अनुशंसा हेतु विचार नहीं किया जाए ।

6. गतवर्ष कतिपय प्रस्ताव जिला चयन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना प्राप्त हुए । कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जिला चयन समिति का कार्रवाई विवरण ही नहीं भेजा गया अथवा कार्रवाई विवरण की छायाप्रतियां भेजी गई । अतः कृपया सुनिश्चित करें कि सभी अनुशंसित शिक्षकों के प्रस्तावों पर जिला चयन समिति / संभाग स्तरीय चयन समिति की स्पष्ट अनुशंसा हो तथा निर्धारित स्थान पर जिला चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर किये जाएं । कार्रवाई विवरण की मूलप्रति पृथक लिफाफे में भेजें ।

7. जिला चयन समिति की अनुशंसाएं पूर्णतः गोपनीय होना चाहिए । संबंधित शिक्षकों को यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि उनके नाम अनुशंसित किए गए हैं । विगत वर्षो में इस निर्देश की अवहेलना इस सीमा तक की गई है कि अनुशंसित शिक्षक के हस्ते ही प्रस्ताव संचालनालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । यह स्थिति खेद जनक है । अब ऐसा पाए जाने पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

8. यह भी देखा गया है कि अनुशंसित शिक्षकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित चैनल में लिखे हुए नहीं होते हैं या गोपनीय प्रतिवेदन की छायाप्रतियां भेजी गई हैं अथवा पांचों वर्षो के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन वर्ममान में कार्यरत अधिकारी द्वारा ही उन वर्षो के भी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिख दिए गए हैं जिस अवधि में वे कार्यरत नहीं थे । अतः कृपया सुनिश्चित करें कि सभी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित चैनल में लिखे गए हों, उन सभी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो और वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की मूल प्रति ही भेजी जाए ।

9. कृपया पत्र में निहित तथा संलग्न निर्देशों एवं मापदण्डों का पालन करते हुए प्रत्येक श्रेणी में जिले के योग्यतम शिक्षकों के प्रस्ताव वाहक के हस्ते डा. ए.के.

मिश्रा,संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के नाम से व्यक्ति हस्ते इस प्रकार भेजे जाएं कि वे उन्हें नियत दिनांक 15 अगस्त 2007 तक अवश्य प्राप्त हो जाए। सभी प्रस्ताव संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार प्रारूप में ही भेजें जाएं यदि कुछ अन्य विवरण, अभिलेख आदि संलग्न करना आवश्यक समझे जाएं तो प्रपत्र के अंत में उनका उल्लेख करते हुए पृथक खण्ड के रूप में संलग्न किये जा सकते हैं ।परिशिष्ट 2 अनुसार अनुशंसित शिक्षक के संबंध मे निष्कलंक तथा सतत सेवा का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से भेजा जावे जिसे संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जावे । परिशिष्ट तीन अनुसार अनुशंसित शिक्षक का जीवन परिचय प्रस्ताव के साथ भेजा जावे तथा तीन पासपोर्ट आकार के फोटो पृथक लिफाफे मे भेजा जाए । तदनुसार समस्त जिला शिक्षा अधिकारियो से जिला चयन समिति की अनुशंसाएॅ 31 जुलाई 2007 तक अनिवार्यतः प्राप्त करें ।

10. जिला स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों पर बिचार कर संभाग स्तरीय चयन समिति को शिक्षको के नाम अनुशंसित करने हेतु जिला चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, — अध्यक्ष
(2) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास — सदस्य
(3) प्राचार्य, डाईट — सदस्य
(4) प्राचार्य,उ.मा.वि(यथा संभव राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त) — सदस्य

इसी प्रकार संभाग स्तरीय चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी :–

(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, — अध्यक्ष
(2) संभाग में स्थित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय का प्राचार्य — सदस्य
(संभाग में शास.शिक्षा महाविद्यालय न होने पर निकटतम महाविद्यालय के प्राचार्य)
(3) उपायुक्त आदिवासी विकास — सदस्य
(4) प्राचार्य,उ.मा.वि(यथा संभव राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त) — सदस्य

11. राष्ट्र निर्माण का महान कार्य करने वाले गुरूजनों की सेवाओं के फलस्वरूप उन्हें सम्मानित करने की इस योजना की सफलता और सार्थकता चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता में ही निहित है । अतः चयन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाए । चयन बाबत आवश्यक निर्देश एवं परिशिष्ट 1, 2, 3, संलग्न हैं । इस पत्र की अभिस्वीकृति भिजवाएं ।

भवदीय,

(एल.एस.बघेल)

प्रति,

श्री...
संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण,
संभाग.......................................मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक/ राशिकप्र / रा0पु0/ 9 /07/ भोपाल,दिनांकः मई, 2007

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त,आदिवासी विकास सतपुडा भवन,भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को कृपया समुचित निर्देश प्रसारित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु आपके विभाग से भी प्रस्ताव प्राप्त हो सके ।
3. आयुक्त,जन संपर्क संचालनालय,म.प्र. भोपाल ।
4. समस्त आयुक्त, राजस्व संभाग,मध्यप्रदेश ।
5. समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं पदेन अपर संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
7. सचिव,संस्कृत बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. सचिव, मदरसा बोर्ड मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. संयुक्त संचालक ,आई.ई.डी.सी. (स्थानीय) ।

   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अधिकाधिक संख्या में संस्था प्रमुखों से प्रस्ताव प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित कर राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान के प्रस्ताव संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को प्रेषित करें ।

आयुक्त,

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

<u>राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2007 के लिए शिक्षको के चयन हेतु आवश्यक निर्देश</u>

1—राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्यस्तरीय चयन समिति द्वारा नाम प्रस्तावित किये जाते है किन्तु अन्तिम चयन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है ।

2—शिक्षको के जीवन परिचय, कार्य, विषयो के अध्यापन एवं परीक्षाफल प्रतिशत संबंधी जानकारी सुस्पष्ट और अभिलेख के आधार पर सत्यापित करते हुए ही अंकित की जाए ।

3— प्रपत्र मे वॉछित सभी जानकारियॉ निर्देशानुसार पूर्ण एवं स्पष्ट भरी जाए । जिन बिन्दुओ पर कोई जानकारी नही दी जाना हो वहॉ यथास्थिति निरंक अथवा लागू नही लिखा जाना चाहिए । अपूर्ण प्रस्ताव अमान्य कर दिये जायेगे ।

4—जिला स्तर पर बिचारण हेतु जिले मे स्थित सभी प्राथमिक,माध्यमिक,हाईस्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूलो मे कार्यरत शिक्षको के प्रस्ताव संस्था प्रमुखों के माध्यम से आमंत्रित किये जाए । संस्कृत और अरबी फारसी के शिक्षको को भी इसमे शामिल किया जाए ।

5—महिला शिक्षको और आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षको के प्रस्तावों पर भी बिचार किया जाए ।

6—प्रशिक्षण संस्थाओ के शिक्षको के प्रस्ताव बिचारण मे नही लिये जाए ।

7—राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु प्राप्त सभी प्रस्तावों पर एक साथ बिचारण हेतु जिला चयन समिति / संभागस्तरीय चयन समिति की बैठक किसी एक निर्धारित दिनॉक को आयोजित की जाए तथा इसमे सभी सदस्य अनिवार्यतः उपस्थित होए । प्राप्त सभी प्रस्तावों पर समिति द्वारा वस्तुनिष्ठता के आधार पर बिचार किया जाकर योग्य शिक्षको के नाम तीनो श्रेणियों मे पृथक—पृथक अनुशंसित किये जाए ।

8—शासकीय,अशासकीय तथा समेकित शिक्षा / परंपरागत पाठशालाओ के लिए श्रेणीवार अनुशंसाएॅ कार्रवाई विवरण मे निम्नानुसार तीन भागो मे की जाए :— भाग (1) मे प्राथमिक कक्षाओ (कक्षा 1 से 8 तक) मे अध्यापन करने वाले शिक्षको के संबंध मे अनुशंसा ।भाग (2)मे माध्यमिक कक्षाओ (कक्षा 9 से 12 तक) मे अध्यापन करने वाले शिक्षको के संबंध मे अनुशंसा । भाग (3) मे निःशक्त बच्चों की समेकित शिक्षा के क्षेत्र मे विशेष योगदान करने वाले शिक्षक/ परंपरागत पाठशालाओ के शिक्षको के संबंध मे अनुशंसा । यदि किसी श्रेणी मे किसी नाम की अनुशंसा नही है तो तदनुसार स्पष्ट उल्लेख कार्रवाई विवरण मे किया जाए ।

9—अनुशंसित शिक्षको के संबंध मे यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनके सेवाकाल हर प्रकार से निष्कलंक हो । यदि आवश्यक हो तो संबंधित पुलिस थाने से भी इसका सत्यापन करा लिया जाए ।

10–यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुशंसित शिक्षक कभी दण्डित नही हुआ है , और उसके विरूद्ध कोई विभागीय जॉच अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नही है ।

11–अनुशंसित प्रस्तावो पर जिला चयन समिति / संभागस्तरीय चयन समिति के सभी सदस्यों के पदमुद्रा एवं नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए ।इसके अभाव मे प्रस्ताव पर बिचार नही किया जावेगा ।

12–जिला चयन समिति / संभाग स्तरीय चयन समिति के कार्रवाई विवरण की मूल प्रति एक पृथक सीलबंद लिफाफे मे रखकर भेजी जावे ।

13–सभी अनुशंसित शिक्षको के मूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एक पृथक सीलबंद लिफाफे मे रखे जाए तथा लिफाफे पर तदनुसार उल्लेख किया जाए ।वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ कदापि संलग्न नही किये जाए ।वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के अभाव मे प्रस्ताव पर बिचार नही किया जाएगा ।

14–अशासकीय शिक्षण संस्थाओ के शिक्षको के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन मे प्रथम मतांकन शाला संचालन समिति सचिव द्वारा तथा द्वितीय मतॉकन संबंधित संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा ।सभी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है ।

15–सभी प्रस्ताव परिशिष्ट –1,2,3 अनुसार प्रपत्र मे ही भेजे जाए ।पूर्व वर्षो मे तैयार किये गये प्रस्ताव यथावत नही भेजे जाए बल्कि पुनः नवीन प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाए ।

16–अशासकीय शिक्षण संस्थाओ के शिक्षको के प्रस्ताव भी परिशिष्ट – 1,2,एवं 3 अनुसार प्रपत्र मे ही भेजे जाए ।इस विषयक अन्य स्पष्टीकरणो हेतु शासकीय शिक्षको के संबंध मे दिये गये निर्देशों के अनुरूप तदात्मय स्थापित कर बिचार किया जाए ।

17–परीक्षाफल प्रतिशत तथा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के वर्गीकरण के संबंध मे संस्था प्रमुख द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि संगत अभिलेखो से अवश्य की जानी चाहिए ।

आयुक्त,लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–एक

फोटो यहॉ चिपकाये

भाग–क

शिक्षक के विवरण

1– नाम (बडे अक्षरो मे) :..

2– वैवाहिक स्थिति के साथ स्त्री / पुरूष :...

3– पदनाम तथा पिन कोड संख्या सहित...
स्कूल का पूरा पता ....

4– पिन कोड संख्या सहित पूरा ....
आवासीय पता...

5– पिन कोड संख्या सहित पूरा :...
स्थाई पता ....

6– विद्याालय प्राथमिक है या माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक :...

7– जिला ....

8– राज्य ....

9– जन्मतिथि ....

10– वर्तमान आयु ....

11– सेवानिवृत्ति की तारीख..

12– यदि सेवानिवृत्त हो चुके है तो संबंधित दस्तावेजो को संलग्न करते हुए बताए कि क्या राज्य प्राधिकारियों द्वारा सेवा मे बिस्तार किया गया है ।...
....

13– शिक्षक के रूप में सेवा शुरू करने की तारीख सहित कुल सेवा ....
कुल सेवा ....वर्ष ....महीना ....
शिक्षक के रूप में सेवा
शुरू करने की तारीख ....

सेवा रिकार्ड

संस्था का नाम	स्तर–प्राथमिक/ माध्यमिक आदि	प्रबंधन सरकारी / सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त
1	2	3

कुल दाखिला	सेवा की अवधि दिनॉक महीना एवं वर्ष सहित	पढाए गए विषय	पढाई गई कक्षाएॅ
4	5	6	7

सार्वजनिक या वार्षिक परीक्षाओ के परिणम	पूरी की गई कोई अन्य जिम्मेदारी
8	9

14– कुल अनुभव अवधि ....से ....तक

शिक्षण
प्रशासनिक
अन्य

कुल

भाग– ख

15– प्राथमिक स्कूल शिक्षको के मामले में स्कूल मे दाखिला बढाने के लिए तथा कक्षा बीच मे छोडने की स्थिति को रोकने के लिए शिक्षक द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए है ? स्कूल और जिले के संबंध मे विगत तीन वर्षो के दाखिला / स्कूल मे बनाये रखने की प्रतिशतता संबंधी ऑकडे दे ताकि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने मे हुई प्रगति को दर्शाया जा सके ।

....

....

....

16– माध्यमिक स्कूल शिक्षको के मामले में विगत पॉच वर्षो मे माध्यमिक स्तर पर स्कूल में कक्षा छोड देने वालों की दर क्या रही है ? उसे रोकने के लिए शिक्षक ने क्या कद उठाये है ?

....

....

....

17– बोर्ड परीक्षा में शिक्षक की कक्षा के क्या परिणाम रहे है ? विगत पॉच वर्षो के दौरान शिक्षक के कक्षा / विषय मे उत्तीर्ण होने वालो और प्रथम श्रेणी पाने वालो की प्रतिशतता दे ।

....

....

....

18– क्या शिक्षक ने स्कूल के भौतिक विकास के लिए निर्धारित सामुदायिक संसाधनो का संघठन किया है ? यदि हॉ तो विवरण दे ।

....

....

....

19– शिक्षको / प्रधानाध्यापको के मामले मे विगत पॉच वर्षो के दौरान कक्षा / स्कूल मे अनुशासनहीनता के मामलो, यदि कोई हो तो संख्या बताये ।

....

....

....

20– क्या शिक्षक ने राष्ट्रीय अंखण्डता को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट कार्यकलापों को शुरू किया है ? विवरण दें ।

....

....

....

21– निम्नलिखित सूचना विशेष रूप से दी जानी चाहिये

– क्या वे प्राइवेट शिक्षण देते / देती है ?

....

....

क्या वे राजनीतिक / ट्रेड यूनियन के कार्यकलापो में सम्मिलित होते / होती है ?

....

....

–क्या वे शिकायत करने और कानूनी पचडे में पडने के आदि है ?

....

....

–क्या वे समयनिष्ट है ?

....

....

ध्यातव्य सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय उपर्युक्त सूचना को 75 प्रतिशत अधिमान्यता दी जानी चाहिए ।

22– क्या शिक्षक ने विद्यार्थियों पर अपने शिक्षण के अधिक प्रभाव के लिए कोई नवाचारी प्रयोग किया है ? संक्षिप्त विवरण दें ।

....

....

....

23– कक्षा के शिक्षण को अधिक रूचिकर बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जन मीडिया सहित सहायक शिक्षण सामाग्रियों के प्रकार क्या है ?

....

....

....

24– क्या शिक्षक प्रतिभावान और कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान और उनको विशेष सहायता प्रदान करते है ? यदि हॉ तो विवरण दें ।

....

....

....

25– क्या शिक्षक ने किसी सेवाकाकलीन प्रशिक्षण कार्यक्रमो / कार्यशालाओ आदि मे भाग लिया है ? यदि हॉ तो विगत पॉच वर्षो के विवरण दें ।

....

....

....

26– क्या शिक्षक स्कूलो मे सह–पाठ्यचर्या या पाठ्येत्तर कार्यकलापों को आयोजित करने मे सक्रिय रूचि लेते है ? विवरण दे ।

....

....

....

27– क्या शिक्षक ने कोई लेख, पाठ्य–पुस्तक आदि लिखी है ? यदि हॉ तो विवरण दे ।

....

....

....

28– क्या विगत 10 वर्षो के दौरान शिक्षक को स्कूल समुदाय या सरकार से कोई मान्यता / पुरस्कार या इनाम मिला है ? यदि हॉ तो विवरण दें ।

....

....

....

29– उपर अनुल्लिखित कोई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि

....

....

....

भाग – ग

अपने वरिष्ठ शिक्षको के मूल्यॉकन के आधार पर शिक्षक के बारे मे टिप्पणी

30– क्या विद्यार्थियों के बीच शिक्षक का सम्मान है ?

....

....

....

31– क्या वे विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाये रखने मे सक्षम है ?

....

....

....

32– क्या शिक्षक अपने सहकर्मियों और अन्य लोगो के साथ मधुर संबंध बनाये रखते है ?

....

....

33– क्या समुदाय द्वारा विशेष तौर पर माताओ – पिताओ द्वारा उनको अच्छा सम्मान मिलता है

....

....

....

34– अभिभावक – शिक्षक संघ के कार्यकलाप आदि यदि कोई हो , मे शिक्षक की क्या सहभागिता है ?

....

....

....

35– संस्था के प्रधान द्वारा सामान्य मूल्यॉकन

....

....

....

36– जिला स्कूल निरीक्षक / शिक्षा अधिकारी द्वारा सामान्य मूल्यॉकन दाखिला

....

....

....

//जिला चयन समिति की स्पष्ट अनुशंसा//

————————————	————————————
(नाम——————————)	(नाम ——————————)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर	नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य	सदस्य
जिला चयन समिति	जिला चयन समिति
————————————	————————————
(नाम——————————)	(नाम ——————————)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर	नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य	अध्यक्ष
जिला चयन समिति	जिला चयन समिति

//संभाग स्तरीय चयन समिति की स्पष्ट अनुशंसा//

————————————	————————————
(नाम——————————)	(नाम ——————————)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर	नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य	सदस्य
संभाग स्तरीय चयन समिति	संभाग स्तरीय चयन समिति
————————————	————————————
(नाम——————————)	(नाम ——————————)
नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर	नाम एवं पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर
सदस्य	अध्यक्ष
संभाग स्तरीय चयन समिति	संभाग स्तरीय चयन समिति

परिशिष्ट – दो

अनुशंसित शिक्षक के संबंध मे निष्कलंक तथा सतत सेवा का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2007 के लिए अनुशंसित शिक्षक श्री / सुश्री श्रीमती ....पदनाम .... विद्यालय ....स्थान .... जिला.. के संबंध मे मैने व्यक्तिशः पुष्टि कर ली है , कि उसके विषय मे ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य नही है जिसके कारण वे पुरस्कार देने के लिए अनुपयुक्त हो । विशेष रूप से प्रमाणित किया जाता है कि :–

1– अनुशंसित शिक्षक कभी भी किसी विभागीय या आपराधिक कार्रवाई मे दण्डित नही हुए है और उनके विरूद्ध ऐसी कोई कार्रवाई वर्तमान मे भी लंबित नही है ।

2– अनुशंसित शिक्षक के विरूद्ध अन्य किसी प्रकार की कोई जॉच भी प्रचलित नही है ।

3– अनुशंसित शिक्षक के विरूद्ध कोई पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध नही है ।

4– अनुशंसित शिक्षक का रिकार्ड तथा पूर्ववृत्त पूर्णतः निष्कलंक है ।

5– अनुशंसित शिक्षक का सेवाकाल सतत है अर्थात् बीच मे सेवा ब्रेक नही हुई है ।

––––––––––––––

(नाम ––––––––––––)

जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

एवं पदमुद्रा

परिशिष्ट – तीन

अनुशंसित शिक्षक का संक्षिप्त जीवन वृत्त

यह लगभग 150 शब्दो का होना चाहिए तथा इसमे निम्नलिखित बिन्दुओ पर वर्णानात्मक जानकारी स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूप से दी जानी चाहिए :–

1. जन्मस्थान तथा जन्मतिथि ।
2. शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण तथा अर्जित विशिष्ट उपलब्धियॉ पुरस्कार आदि
3. शिक्षक के रूप मे किये गये नवाचार तथा अन्य उल्लेखनीय विशिष्ट उपलब्धियॉ
4. नागरिक के रूप मे सामाजिक जीवन मे विशिष्ट योगदान